(भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड–3, उप–खंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 07 /2023
दिनांक: 15 अप्रैल, 2024

विषय: श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात को प्याज (एचएस कोड 0703 10 19 के तहत) का निर्यात।

सा.आ.(अ): विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 22.03.2024 की अधिसूचना संख्या 81/2023 के पैरा 2 में निहित प्रावधान के अनुरूप केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात को निम्नलिखित मात्रा में प्याज (एचएस कोड 0703 10 19 के तहत) के निर्यात की अनुमति प्रदान करती है:

क्रम सं.	देश का नाम	मात्रा
1.	श्रीलंका	10,000 मी.ट.
2.	संयुक्त अरब अमीरात	डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 65/2023 दिनांक 01.03.2024 और 02/2023 दिनांक 03.04.2024 के माध्यम से पूर्व में ही अधिसूचित 24,400 मी.ट. के अतिरिक्त 10,000 मी.ट.

2. अधिसूचना का प्रभाव:

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से श्रीलंका को **10,000 मी.ट.** प्याज (एचएस कोड 0703 10 19 के तहत) के निर्यात की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात को डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 65/2023 दिनांक 01.03.2024 और 02/2023 दिनांक 03.04.2024 के माध्यम से पूर्व में ही अधिसूचित 24,400 मी.ट. कोटा के अतिरिक्त **10,000 मी.ट.** प्याज (एचएस कोड 0703 10 19 के तहत) के निर्यात की अनुमति दी गई है।

संतोष कुमार सारंगी 15.4.2024

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेल: dgft@nic.in

(फा. सं. 01/91/191/060/एएम–24/ईसी/ई–38291 से जारी)